कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला–एम0सी0बी0,(छ0ग0)

क्र0/3784/आ0वि0/वनअधि0/2025–26 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 12/12/2025

–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन, अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः **जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक–वन अधिकार अधिनियम)** की नियुक्ति किया जाना है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0	पद का नाम	मानदेय	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम)	30000/–	संलग्न सूची अनुसार	01 वर्ष	जिला स्तर	जिले के जिला स्तरीय समिति स्तर पर

आवेदन भरने हेतु समय सारणी

क्र	कार्यवाही के बिन्दु	निर्धारित समय–सीमा
1	विज्ञापन जारी करने की तिथि	13.12.2025
2	आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि	26.12.2025 शाम 05.30 बजे तक
3	आवेदन पत्रों का परिक्षण उपरान्त दावा आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन	30.12.2025
4	दावा आपत्ति हेतु अंतिम तिथि	03.01.2026 शाम 05.30 बजे तक
5	दावा अपत्ति उपरांत पात्र/अपात्र आवेदकों कि **प्रथम सूची** का प्रकाशन	06.01.2026
6	साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा की तिथि	07.01.2026 से 10.01.2026
7	सक्षात्कार के आधार पर मेरिट **अनंतिम सूची** तैयार कर दावा आपत्ति हेतु प्रकाशन	12.01.2026
8	दावा आपत्ति हेतु अंतिम तिथि	15.01.2026 शाम 05.30 बजे तक
9	दावा आपत्ति का निराकरण उपरांत **अंतिम मेरिट सूची**, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	16.01.2025

पद की शर्तें :–

1. यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित नियम एवं सेवा अवधि के अन्तर्गत सीमित होंगे।
2. यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय (Non Transferable) होंगे।
3. धरती आबा–जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अन्तर्गत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 01 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार शासन के निर्देशानुसार होगा।
4.

पात्रता की शर्तें निम्नानुसार है :–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो। कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस इत्यादि सम्मिलित है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का **(समन्वयक–वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 03 वर्ष** का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभवन हो, जैसेः– जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे है जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर

...ा... weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छ0ग0 राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। **(कोई भी दस्तावेज फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कि जावेगी)**

2. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थितिमें 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
3. आवेदक छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जनजातीयपरंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति, की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

4. आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथि :–

(i) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर समस्त आवश्यक अर्हताओं से संबंधित दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर निर्धारित अंतिम तिथि दिनॉक 26/12/2025 तक कार्यालयीन समय **(सुबह 10:00 से 5:30 तक)** में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(ii) आवेदन **जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 25 में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर** के पते पर **आवेदित पद का नाम लिखकर** जमा करना होगा। यदि एक आवेदक दोनो पद हेतु आवेदन करता है तो आवेदक को पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।

(iii) आवेदन पत्र के परिक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने–जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(iv) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार की निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना दूरभाष/ईमेल पर दी जावेगी। सूची का अवलोकन कार्यालयीन सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट में www.manendragarh-chirmiri-bharatpur.gov.in में किया जा सकेगा।

(v) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

(vi) 50 प्रतिशत अंक **(जिसमें साक्षात्कार हेतु 70 प्रतिशत अंक एवं 30 प्रतिशत अंक कम्प्यूटर कौशल परीक्षा के आधार पर दिये जावेंगे)** तथा 50 प्रतिशत अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल/चयनित अभ्यार्थियों की पदस्थापना की जायेगी।

अंको की गणना

कुल अंक	स्नातक (50 अंक)	साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (50 अंक)	
100	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक	साक्षात्कार–35 अंक	कौशल परीक्षा–15 अंक

(vi) अभ्यार्थियों को 02 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(vii) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(viii) किसी भी विवाद कि स्थिति मे न्यायालयीन क्षेत्र जिला –मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर होगा।

5. दावा आपत्ति कि प्रक्रियाः–

(i) प्रथम एवं अनंतिम सूची हेतु दावा आपत्ति का आवेदन कार्यालयीन ई–मेल आईडी actd-mcb@cg.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। ऑफलाईन दावा आपत्ति आवेदन किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया जावेगा।

पद के कर्तव्य :– जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक–वन अधिकार अधिनियम)–(जिला स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन अन्तर्गत सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यो यथा–FRA, MPR, PQR,एवं समय–समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना होगा।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियो/ग्रामसभा के सदस्यों/मैदानी कर्मचारियों को FRA के क्रियान्वयन अर्न्तगत अधिनियम की धारा 3(1) एवं 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्य कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओ के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान कराना होगा। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्धद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना होगा।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति (DLC) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) के गठन/पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान होगा।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण दस्तावेजो के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यो में तकनीकी सहयोग करना होगा।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एव अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।
7. राज्य स्तर एवं अनुभाग स्तर पर FRA सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर बनाना होगा।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना होगा।
9. विभाग द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना होगा।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय–समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा।
11. जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओं से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया में गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना होगा।
12. एमआईएस सहायक (सहायक–वन अधिकार अधिनियम) के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना होगा।
13. विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनो से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधित आवश्यक कार्यवाही को राज्य स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करना।

17. अनुभाग स्तर पर FRA सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

(कलेक्टर महोदय, द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास विभाग
जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर

पृ0 क्र0 / 3785 / आ0वि0 / वनअधि0 / 2025–26 **मनेन्द्रगढ़, दिनांक 12 / 12 / 2025**

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर, (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. *आयुक्त, जनसंपर्क सूचना एवं प्रकाशन विभाग, नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।*
3. कलेक्टर, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी *(NIC)* मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया विज्ञापन के साथ विस्तृत जानकारी को शासकीय वेबसाईट जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर की वेबसाई *www.manendragarh-chirimiri-bharatpur.gov.in* में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. मण्डल संयोजक, खड़गवां / मनेन्द्रगढ़ / भरतपुर, जिला मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यालय कलेक्टर मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) के सूचना पटल में चस्पा हेतु।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास विभाग
जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर

आवेदन पंजीकरण क्रमांक.....
(कार्यालयीन उपयोग के लिए)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र
वर्ष 2025–26

1. आवेदक का नाम :–.....
2. पिता का नाम :–.....
3. जन्मतिथि :–.....
4. आवेदक की श्रेणी :–.....
   (सामान्य / एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0)
5. मूल निवास (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–.....
6. निवासी का पता ई–मेल सहित
   फोन / मोबाईल नंबर :–.....
7. शैक्षणिक योग्यता :– (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्रमांक	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	हाई स्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुभव की कुल अवधि :–.....

(अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

क्रमांक	संस्था का नाम	कार्य अवधि		कार्यभार का प्रकार (विवरण देवें)
		कब से	कब तक	

घोषणा–पत्र

मै.....घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया सकता है।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
दिनांक .....
स्थान .....